



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126904

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19540/2026

सोनू कुमार @ बिल्ला

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: अभिजीत सिंह, सौरभ सिंह

विपक्षी के लिए अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 158/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 190, 125, 326(जी), 333, 324(4), 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस और धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1932, पुलिस स्टेशन सेक्टर 63, जिला गौतम बुद्ध नगर में, जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसके कब्जे से किसी भी प्रकार की कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी अनमोल, विवेक पांडे और ब्रजमोहन को समन्वय पीठों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2026, 05.06.2026 और 10.06.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19238/2026, 19707/2026 और 19373/2026 में पारित आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का वर्तमान वाद के अतिरिक्त एक अन्य आपराधिक इतिहास है जिसमें उसे जमानत प्राप्त है। इन परिस्थितियों में, आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन यह स्वीकार किया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी अनमोल, विवेक पांडे और ब्रजमोहन को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

5. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एजीए द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करते हुए, एफआईआर और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की सामग्री का अध्ययन करते हुए, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, सजा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। समानता के आधार पर जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

6. उपर्युक्त मामले में आवेदक **सोनू कुमार उर्फ बिल्ला** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक व्यक्ति उस अपराध के समान कोई अपराध न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक व्यक्ति मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को व्यक्त करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक व्यक्ति इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी (धारा 269 बीएनएस के समतुल्य) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी (धारा 84 बीएनएस के समतुल्य) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए आईपीसी (धारा 209 बीएनएस के समतुल्य) के तहत विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों: (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 सीआरपीसी (धारा 351 बीएनएस के समतुल्य) के तहत बयान दर्ज करने पर स्वयं उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द की जा सकती है।

(माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

11 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।